

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़
जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्र0 597 / 2013
संस्थान दिनांक 06 / 07 / 2011

जितेन्द्र पिता राधेश्याम पाटीदार,
निवासी- अंजड़, जिला-बड़वानी (म.प्र.) -----अभियोगी

विरुद्ध

ओमप्रकाश पिता हजारीलाल सुतार,
निवासी- ग्राम मोहीपुरा, तहसील अंजड़,
जिला बड़वानी (म.प्र.) -----अभियुक्त

/// निर्णय ///

(आज दिनांक 11.11.2017 को घोषित)

01. परिवादी द्वारा परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 में दिनांक 06.07.2011 को प्रस्तुत परिवाद पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 01.05.2011 को परिवादी को अभियुक्त द्वारा 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये मात्र) रुपये का एक चैक क्रमांक 6890133 का जारी किये जाने पर उक्त चैक अभियुक्त का खाता बंद होने के कारण अनादरित होने तथा उक्त धनराशि की मांग का सूचना पत्र परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिये जाने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा उक्त राशि भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

02. प्रकरण में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य है अभियुक्त एवं परिवादी अंजड़ का निवासी है, परिवादी के आरोपी से अच्छे संबंध थे तथा अभियुक्त ने द0प्र0सं0 की धारा 315 अंतर्गत अपनी साक्ष्य में परिवादी से रुपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये मात्र) प्राप्त करना स्वीकार किया है ।

03. परिवादी का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अभियुक्त को रूपयों की आवश्यकता होने से आरोपी ने परिवादी से रुपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये मात्र) नगद उधार स्वरूप प्राप्त किये थे, तथा उक्त धनराशि परिवादी को शीघ्र ही वापस करने का अश्वासन दिया जिस पर परिवादी ने कुछ समय बाद आरोपी से रूपयों की मांग की लेकिन आरोपी ने परिवादी को रुपये अदा नहीं किये। परिवादी के द्वारा बार बार मांग किये जाने पर आरोपी ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा अंजड़ का चैक क्रं0 6809133 दिनांक 01.05.2011 का रुपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये मात्र) का उसके द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं लिखित कर परिवादी को प्रदान किया, तथा आरोपी ने कहा कि, उक्त चैक की राशि परिवादी को बैंक से प्राप्त हो जायेगी। तब परिवादी ने आरोपी की बात पर विश्वास करते हुये आरोपी द्वारा उसे दिये गये चैक को भुगतान प्राप्ति के लिये अपने बैंक ऑफ इंडिया शाखा अंजड़ में भुगतान प्राप्ति के लिये प्रस्तुत किया जहाँ उक्त चैक बगैर भुगतान के परिवादी को इस टीप के साथ दिनांक 06.05.2011 को लौटाया गया कि, आरोपी का खाता बंद कर दिया गया है। इस प्रकार आरोपी ने जान बूझ कर परिवादी को धोखा देने के लिये उक्त चैक जारी किया। इसलिए परिवादी ने उक्त चैक के अनादरन के 30 दिवस के भीतर दिनांक 31.05.2011 को सूचना पत्र प्रेषित कर चैक की धनराशि की मांग की, लेकिन अभियुक्त ने विहित समयावधि में उक्त चैक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया है, इसलिए परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

04. परिवाद पत्र के आधार पर मेरे द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध परकाम्य लिखित अधिनियम, 1981 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र. स. के परीक्षण में अभियुक्त ने निर्दोष होना व्यक्त किया है, तथा बचाव साक्षी के रूप में द0प्र0सं0 की धारा 315 के अंतर्गत स्वयं का परीक्षण कराया है।

05. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.05.2011 को परिवादी को 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये मात्र) रुपये का चैक क्रमांक 6890133 विधिक ऋण दायित्व के उन्मोचन हेतु जारी किया था ?
2. क्या उक्त चैक विधिमान्य अवधि में बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण अनादरित हो गया था ?
3. क्या अभियुक्त ने परिवादी द्वारा उक्त धनराशि की मांग करते हुये पंजीकृत डाक द्वारा उसे दिये गये सूचना पत्र का निर्वाह स्वयं पर टाल दिया और उक्त राशि का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया ? यदि हाँ, तो उचित दंडाज्ञा ?

06. परिवादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में परिवादी साक्षी जितेन्द्र (परि.सा.1), के कथन कराए गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में स्वयं का परीक्षण कराया है।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 के संबंध में

07. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। जितेन्द्र (परि.सा.1), का कहना है कि, अभियुक्त को रूपयों की आवश्यकता होने से आरोपी ने परिवादी से रुपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये मात्र) नगद उधार स्वरूप प्राप्त किये थे तथा उक्त धनराशि परिवादी को शीघ्र ही वापस करने का आश्वासन दिया जिस पर परिवादी ने कुछ समय बाद आरोपी से रूपयों की मांग की लेकिन आरोपी ने परिवादी को रुपये अदा नहीं किये। परिवादी के बार बार मांग किये जाने पर आरोपी को बैंक आफ इंडिया शाखा अंजड का चैक क्र० 6809133 दिनांक 01.05.2011 का रुपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये मात्र) का उसके द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं लिखित कर परिवादी को अदा किये तथा आरोपी ने कहा कि, उक्त चैक की राशि परिवादी को बैंक से प्राप्त हो जायेगी, तब परिवादी ने आरोपी की बात पर विश्वास करते हुए आरोपी द्वारा उसे दिये गये चैक को भुगतान प्राप्ति के लिये अपने बैंक ऑफ इंडिया शाखा अंजड में भुगतान प्राप्ति के लिये प्रस्तुत किया जहाँ उक्त चैक बगैर भुगतान के परिवादी को इस टीप के साथ दिनांक 06.05.2011 को लौटाया गया कि, आरोपी का खाता बंद कर दिया गया है। इस प्रकार आरोपी ने जान बूझ कर परिवादी को धोखा देने के लिये उक्त चैक जारी किया। इसलिए परिवादी ने उक्त चैक के अनादरण के 30 दिवस के भीतर दिनांक 31.05.2011 को सूचना पत्र प्रेषित कर चैक की धनराशि की मांग की, लेकिन अभियुक्त ने विहित समयावधि में उक्त चैक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया है, इसलिए परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

08. परिवादी ने अपने समर्थन में आरोपी द्वारा उसे दिया गया चैक प्र०पी० 1 का उसके ए से ए भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर अपने सामने करना बताया है तथा बैंक का वापसी मेमो प्र०पी० 2, उसके अधिवक्त द्वारा आरोपी को दिया गया सूचना पत्र की प्रतिलिपि प्र०पी० 3, पंजीकृत डाक की रसीद प्र०पी० 4 और प्राप्ति अभिस्वीकृति प्र०पी० 5 प्रमाणित किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये प्रतिपरीक्षण में परिवादी ने स्वीकार किया है कि, आरोपी ने उसे किस तारीख को चैक दिया था वह उसे याद नहीं है क्योंकि उक्त व्यवहार लगभग 7 वर्ष पहले का है। उसके अधिवक्ता ने चैक वापसी के कितने दिनों बाद आरोपी को सूचना पत्र दिया था वह भी उसे याद नहीं है। परिवादी ने इस सुझाव से

इंकार किया है कि, आरोपी ने उसके अधिवक्ता द्वारा भेजे गये प्र0पी0 3 के सूचना पत्र का जवाब दिया था। परिवादी ने इस सुझाव से भी स्पष्ट इंकार किया है कि, प्र0पी0 1 का चैक देने के पहले ही आरोपी ने चैक की राशि रुपये 1,00,000/- अदा कर दिये थे अथवा आरोपी ने अलग अलग तारिखों को उसे चैक की धन राशि रुपये 1,00,000/- का भुगतान कर दिया था। परिवादी ने स्पष्ट किया है कि, आरोपी का उसका दूसरा लेनदेन भी हुआ था जिसकी राशि आरोपी ने उसे अदा की थी। परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, उसे आरोपी से कोई धनराशि नहीं लेना है अथवा उसने असत्य परिवाद पेश किया है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण के दौरान परिवादी के कथनों का कोई खंडन नहीं हुआ है।

09. आरोपी ने द.प्र.सं. की धारा 315 के अंतर्गत स्वयं के परीक्षण में कथन किया है कि 6-7 वर्ष पूर्व उसने परिवादी से रुपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये मात्र) उधार प्राप्त किया थे जिसका भुगतान उसने परिवादी को कर दिया है। उसने परिवादी को चैक द्वारा बैंक ऑफ इंडिया शाखा अंजड़ में रुपये 2,00,000/- (अक्षरी दो लाख रुपये मात्र) का भुगतान किया था। उसने ब्याज सहित पूरे रुपये दे दिये थे। परिवादी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका परिवादी से लगभग 10 वर्ष से व्यवहार चल रहा है। उसने परिवादी को दिनांक 13.04.2010 को अपने खाते के माध्यम से ट्रांसफर किये थे और उक्त दिनांक का भुगतान उसका अंतिम भुगतान व्यवहार था। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि उसका बैंक ऑफ इंडिया शाखा अंजड़ में सी.सी खाता क्रमांक 60340 था, जिस पर उसने दाविया चैक बुक जारी करवायी थी तथा **प्रदर्श पी-1** वहीं चैक है जो उसने बैंक से प्राप्त किया था लेकिन आरोपी ने **प्रदर्श पी-1** के चैक पर अपने हस्ताक्षर ए से ए भाग पर होने से इंकार किया है। आरोपी ने न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 13.07.2017, 21.07.2017 तथा 16.08.2017 पर एवं मुचलकानामा दिनांक 27.05.2017 एवं **प्रदर्श पी-5** पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसे परिवादी द्वारा भेजा गया सूचना पत्र मिला था। उसके बाद भी उसने परिवादी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की लेकिन आरोपी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उसके द्वारा परिवादी से रुपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये मात्र) उधार प्राप्त किये थे और उक्त रूपयों के भुगतान के लिये परिवादी के पक्ष में **प्रदर्श पी-1** का चैक जारी किया था। आरोपी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उक्त चैक का भुगतान रोकने के लिये उसने पूर्ण से भी खाता बंद करवा दिया था। आरोपी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह **प्रदर्श पी-1** के बदले परिवादी को ब्याज सहित रुपये 2,00,000/- (अक्षरी दो लाख रुपये मात्र) देने की बात बता रहा है। आरोपी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने उधार लिये गये रुपये के भुगतान के लिये **प्रदर्श पी-1** का चैक जारी किया था। आरोपी ने स्पष्ट किया कि उसने चैक की राशि का भुगतान कर दिया था और उसने चैक परिवादी से वापस नहीं लिया था लेकिन आरोपी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रहा है।

10. आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क किया कि परिवादी से उधार लिये गये रुपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये मात्र) की अदायगी आरोपी ने उसे रुपये 2,00,000/- (अक्षरी दो लाख रुपये मात्र) दे कर दी है और अब परिवादी की आरोपी पर कोई धन राशि बकाया नहीं है। परिवादी ने यह परिवाद असत्य आधारों पर पेश किया है। अपने समर्थन में आरोपी की ओर से अपने बैंक खाते का बैंक द्वारा अभिप्रमाणित विवरण पेश किया गया है जिसमें दिनांक 13.04.2010 को परिवादी जितेन्द्र के नाम से चैक क्रमांक 05318 रुपये 2,00,000/- (अक्षरी दो लाख रुपये मात्र) का भुगतान आरोपी के खाते से हुआ है। जिसके संबंध में परिवादी के अधिवक्ता ने भी आरोपी के प्रतिपरीक्षण में स्वीकारोक्त की है।

11. यह सही है कि परिवादी के अधिवक्ता ने आरोपी के खाते से दिनांक 13.04.2010 रुपये 2,00,000/- (अक्षरी दो लाख रुपये मात्र) का भुगतान जितेन्द्र के नाम से होना स्वीकार किया है लेकिन उक्त जितेन्द्र परिवादी की इस संबंध में आरोपी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। परिवादी ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा अंजड़ में अपने खाता क्रमांक सी.सी. 60340 होना और उक्त खाते में उसके द्वारा चैक बुक जारी करवाना स्वीकार किया है तथा **प्रदर्श पी-1** का चैक उसी का होना भी स्वीकार किया है। आरोपी ने परिवादी से पिछले 10 वर्ष से रुपये का व्यवहार होना भी स्वीकार किया है तथा दिनांक 13.04.2010 का भुगतान अंतिम व्यवहार होना बताया है। यह तक की आरोपी ने परिवादी के अधिवक्ता द्वारा उसे दिया गया सूचना पत्र प्राप्त होना भी स्वीकार किया है तथा आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद भी उसने परिवादी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना स्वीकार किया है। यह परिवादी ने आरोपी द्वारा उसे दिनांक 01.05.2011 को दायित्व के अधीन दिये गये **प्रदर्श पी-1** के चैक के आधार पर प्रस्तुत किया है जो चैक आरोपी के ही खाते से जारी हुआ है तथा आरोपी जिस दिनांक को परिवादी को रुपये 2,00,000/- (अक्षरी दो लाख रुपये मात्र) अपने खाते से अंतरित कराना बता रहा है। चैक की दिनांक उक्त दिनांक (13.04.2010) के बाद की है। ऐसी स्थिति में आरोपी का उक्त बचाव उचित एवं यह सही प्रतीत नहीं होता कि उसके द्वारा परिवादी से लिये गये रुपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये मात्र) के बदले परिवादी को रुपये 2,00,000/- (अक्षरी दो लाख रुपये मात्र) अदा कर दिये हैं।

12. यद्यपि आरोपी ने **प्रदर्श पी-1** के चैक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये हैं लेकिन उक्त चैक आरोपी के चैक पर हस्ताक्षर नहीं मिलते हैं इस आधार पर अनादरित नहीं हुआ बल्कि आरोपी द्वारा खाता बंद किये जाने की टीप **प्रदर्श पी-2** के अनादरण मेमो में लिखी है तथा परकाम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 146 के अनुसार बैंक स्लीप अथवा मेमो चैक के अनादरण होने के तथ्य की उपधारणा न्यायालय को करनी होगी तथा बैंक स्लीप उक्त संबंध में प्रथम दृष्टिया साक्ष्य है।

13. प्रदर्श पी-1 का चैक आरोपी ने अपने खाते से जारी होना स्वीकार किया है और उक्त चैक आरोपी के खाता बंद होने के आधार पर अनादरित हुआ जिसका सूचना पत्र परिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रदर्श पी-3 का आरोपी को चैक अनादरित होने के 30 दिन की समयावधि में प्रेषित किया गया था जिसकी पंजीकृत डाक की रसीद प्रदर्श पी-4 और प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-5 परिवादी ने प्रमाणित की है। यह तक की आरोपी ने उक्त सूचना पत्र प्राप्त होना भी स्वीकार किया है। उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि परिवादी यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि अभियुक्त ने विधिक दायित्व के अधीन परिवादी के पक्ष में प्रदर्श पी-1 का चैक धनराशि रुपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये मात्र) के लिए जारी किया था, जो अभियुक्त के खाते में खाता बंद होने से अनादरित हुआ था, जिसकी मांग का सूचना पत्र भेजे जाने के उपरांत भी उक्त धनराशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया। अतः न्यायालय अभियुक्त ओमप्रकाश पिता हजारीलाल सुतार, निवासी— ग्राम मोहीपुरा, तहसील— अंजड़, जिला— बड़वानी (म.प्र.) को परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 में दोषसिद्ध घोषित करता है। समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

14. सजा के प्रश्न पर अभियुक्त के अधिवक्ता को सुना गया। उनका निवेदन है कि अभियुक्त लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है तथा अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये तथा केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये।

15. यह सही है कि अभियुक्त लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है लेकिन प्रकरण के निराकरण में विलम्ब अभियुक्त द्वारा कारित किया गया, जिसे देखते हुए अभियुक्त सहानुभूति का पात्र नहीं होता है। अतः न्यायालय अभियुक्त ओमप्रकाश को परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 6 माह (छः माह) के सश्रम कारावास से दण्डित करता है। अभियुक्त द्वारा बिताई गई निरोध की अवधि कारावास की सजा में समायोजित की जाये। उक्तानुसार द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

16. धारा 359 तथा धारा 357 (3) द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परिवादी को प्रतिकर तथा कार्यवाहियों के खर्चे के रूप में 1,40,000/- (अक्षरी एक लाख चालीस हजार रुपये मात्र) अदा करेगा। प्रतिकर की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त 6 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतेंगा।

17. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

// 07 //

आपराधिक प्रकरण क्र० 597 / 2013

18. निर्णय की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी

